वेंकटेशप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1867/2008)

10 मार्च 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सताशिवम, जे.जे.]

भूमि सुधारः-

क्षेत्राधिकार-विचाराधीन भूमि के संबंध में विवाद-उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को निर्देश देते हुए रिट याचिका का निपटारा किया यह तय करने के लिए कि क्या प्रश्नगत भूमि इनाम की भूमि थी और यदि थी तो विशेष उपायुक्त को अभिलेख अग्रेषित करने के लिए जो मामले का फैसला करेंगे और अगर जमीन इनाम जमीन नहीं होती तो प्राधिकरण द्वारा मामले पर सुनवाई की जाएगी प्राधिकरण द्वारा इस दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया गया - उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंड पीठ ने भी इस मुद्दे का विश्लेषण नहीं किया-इसलिए, इस मुद्दे से निपटने के लिए मामला उच्च न्यायालय के एकल पीठ को भेजा गया - कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961- मैसूर (व्यक्तिगत और विविध इनाम उन्मूलन अधिनियम 1954 - कर्नाटक इनाम उन्मूलन विधि (संशोधित) अधिनियम 1979)

यह विवाद कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 के मैसूर (व्यक्तिगत और विविध) इनाम उन्मूलन अधिनियम 1954 जिसे कर्नाटक इनाम उन्मूलन विधि (संशोधित) अधिनियम 1979 से संशोधित किया गया है, की पृष्ठभूमि में लागू किये जाने से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, जिसे एकल पीठ द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया है कि प्राधिकरण सर्वप्रथम यह तय करेगा कि क्या प्रश्नगत भूमि इनाम भूमि है अथवा नहीं, यदि है तो अभिलेख को विशिष्ट ड्यूटी कमिश्नर को अग्रेषित किया जाए तथा यदि प्राधिकरण को श्रवणाधिकार है तो कार्यवाही प्रारंभ रहेगी।

भूमि प्राधिकरण ने इस पहलू पर विचार नहीं किया तथा ना ही इस संदर्भ में कोई निष्कर्ष निकाला है, अपील पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा भी भूमि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार पर विचारण नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा भी इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण नहीं किया और एकल पीठ के दृष्टिकोण को बरकरार रखा है। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई है।

अपील का निपटारा कर तथा मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए, न्यायालय द्वारा माना गया किः-

पूर्व में इस विषय पर एकल पीठ द्वारा विशेषतः स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार तय किया जाना आवश्यक है। यह भूमि प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है तथा एकल एवं डिवीजन बेंच ने इन प्रासंगिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। एकल पीठ एवं खण्ड पीठ द्वारा उपरोक्त पहलुओ को नजरअंदाज किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1867 2008

27.5.2004 के बैंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश डब्ल्यू. ए. सं. 935/2004 (एलआर)

शांता कुमार महाले और राजेश महाले अपीलार्थी के लिए

एस. एन. भट, संजय आर. हेगड़े, विक्रांत यादव, अमित कुमार, अरुल वर्मा और के. शारदा देवी प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील के माध्यम से खण्डपीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें धारा 4 कर्नाटक उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज किया गया था। उक्त रिट अपील में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रकरण में विवाद कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961(संक्षेप में अधिनियम) का मैसूर (व्यक्तिगत और विविध) इनाम उन्मूलन अधिनियम 1954 (संक्षेप में 'इनाम अधिनियम') जिसे कर्नाटक इनाम उन्मूलन विधि (संशोधित) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में 'संशोधित अधिनियम') की पृष्ठभूमि में लागू किये जाने के संदर्भ में है।

3. तथ्यात्मक विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में है।

अपीलार्थी ने रिट याचिका संख्या 32930/1996 पेश की है, जिसे 4 अगस्त, 2000 एवं 24 अगस्त, 2000 के आदेशों द्वारा निस्तारित गया था। पश्चात के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए थेः-

> ''यहां तक कि इस प्रश्न के संबंध में कि प्रश्नगत भूमि इनाम भूमि है या नहीं, सही धारणा बनाना असंभव है क्योंकि प्रत्येक विद्वान वकील द्वारा अलग-अलग कथन किये गए हैं। ट्रिब्यूनल को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि विचाराधीन भूमि इमाम की भूमि है या नहीं और यदि उत्तर सकारात्मक है, तो ट्रिब्यूनल विशेष उपायुक्त को रिकॉर्ड भेजेगा जो पार्टियों

को नोटिस देगा, उनकी सुनवाई करेगा और मामले का फैसला करेगा। हालाँकि, यदि प्राधिकरण के पास कानूनी तौर पर कार्यवाही पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार है, परंतु यदि भूमि इनाम भूमि नहीं है, तो प्राधिकरण ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगा।"

4. अपीलकर्ता का मामला यह है कि भूमि प्राधिकरण द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया और ना ही कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया और इस पर अजीब निष्कर्ष निकाला है कि:

"गटरलाहल्ली जोड़ी गांव था, जो उन्मूलन के बाद, सरकार में निहित हो, न कि इनाम ज़मीन।"

5. विद्वान एकल पीठ के समक्ष क्षेत्राधिकार से संबंधित विशिष्ट रुख का निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटारा किया गया है कि:-

"पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मैंने विवादास्पद बिंदुओं पर भूमि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्षों और कारणों की सत्यता की जांच की है। मेरे विचार में, इस याचिका में दिए गए किसी भी तर्क में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जिसका कारण यह है कि विशेष उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अंतर्गत 1954 अधिनियम किसी तीसरे प्रतिवादी जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं था, को बाध्य नहीं करता है। इसके साथ ही आगे कार्यवाही के लिए इसके अलावा, अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के मद्देनजर, 1/74 का अधिनियम लागू हो गया है, यह एक किरायेदारी की भूमि है और इसलिए यह वैधानिक रूप से राज्य में निहित होगी। इसके बाद ही धारा 44 की उप-धारा (2) के तहत बताए गए परिणाम लागू होंगे। इसके अलावा, दलील में निवेदन किया गया कि फॉर्म

नंबर 7 का आवेदन कायम रखने योग्य नहीं है जैसा कि इस याचिका में ऊपर कहा गया है, कानून में पूरी तरह से अस्थिर है क्योंकि तीसरे प्रतिवादी की ओर से की गई दलीलें केएलआरएफ अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भरता के साथ-साथ अच्छी तरह से स्थापित हैं। मुनियेल्लापा बनाम बी.एम. के मद्देनजर कृष्ण मूर्ति ने AIR 1992 SC 205 में रिपोर्ट दी और उसे स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने का आग्रह कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है और इसे खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा रंगैया के मामले पर की गई निर्भरता तथ्यात्मक स्थिति पर पूरी तरह से लागू नहीं है और प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण गलत है। इसलिए उक्त निर्णय पर की गई निर्भरता गलत है और इस संबंध में तर्क खारिज किया जाता है।"

6. विद्वान एकल पीठ ने केवल यह तय किया है कि चूंकि प्रतिवादी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, इसलिए 1954 अधिनियम के तहत विशेष उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के कोई परिणाम नहीं थे तथा अन्यथा भी धारा 44(2) में बताए गए परिणाम लागू हुए। डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण नहीं किया और विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

7. इस अपील में विशिष्ट मुद्दा उठाया गया है कि किसी मामले को फिर से खोलने और इनाम उन्मूलन के लिए विशेष उपायुक्त द्वारा निर्णय लेने के भूमि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 141 का संदर्भ दिया गया है।

8. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि यद्यपि इस पर विशेष रूप से तय नहीं किया गया है परंतु तथ्यात्मक दृष्टि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।

9. पूर्व में विद्वान एकल पीठ ने विशेष रूप से कहा था कि ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को ऊपर उद्धृत अनुसार निपटाया जाना चाहिए था। यह स्पष्ट रूप से भूमि प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है और एकल पीठ और डिवीजन बेंच ने इन प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया।

10. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार मुद्दे से निपटने के लिए विद्वान एकल पीठ को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. अपील को वगैर किसी कोस्ट के निस्तारित किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंशिका दिनकर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।